FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

अनवान

सुआमोटो रास्ता **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

केस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 29 / 2020 प्रा0पत्र

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.10.2020 | सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व / 2020 / 1281 दिनांक 19.10.2020 द्वारा ग्राम मोटा का खेड़ा पटवार हल्का मोटा का खेड़ा तहसील करेड़ा की आ.नं. 1 रकबा 260.04 बीघा मे से रकबा 2.07 बीघा,आ.नं.256 रकबा 36.00 बीघा मे से रकबा 2.10 बीघा, आ.नं. 258 रकबा 52.09 बीघा में से रकबा 1.06 बीघा, आ.नं. 255 रकबा 25.03 बीघा में से रकबा 1.03 बीघा, आ.नं. 254 रकबा 16.17 बीघा में से रकबा 1.02 बीघा कुल किता 5 रकबा 8.08 बीघा किस्म चारागाह भूमि में चाहा गया रास्ता / सड़क ग्राम मोटा का खेड़ा से तगड़ीया सड़क को ग्राम कांकरोद तहसील देवगढ जिला राजसंमद की सीमा को जोड़ता है। मौके पर निर्बाध रूप से आवागमन चालू होकर प्रचलित रास्ता है। राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार " रास्ता खोलो अभियान " के तहत मौके पर प्रचलित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिसे राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने में कोई सार्वजनिक एवं ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। जिसके समर्थन में सम्बत् 2070 से 2073 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का ने प्रस्तुत किये। पटवारी हल्का मोटा का खेड़ा ने मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार करेड़ा ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अनुशंषा सहित पत्रादि प्रस्तुत करने पर पत्रावली पे[illegible]<br>प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible] होने से दर्ज रजिस्टर किया जा[illegible] पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीदार [illegible] रिपोर्ट / अभिशंषा उचित प्रतीत होती है।<br>अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>करेड़ा | .../2020<br>2020/00297 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 08:29:45 IST
Reason: SelfAttested

# आदेश

अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मोटा का खेड़ा पटवार हल्का मोटा का खेड़ा तहसील करेड़ा की आ.नं. 1 रकबा 260.04 बीघा मे से रकबा 2.07 बीघा, आ.नं. 256 रकबा 36.00 बीघा मे से रकबा 2.10 बीघा, I.नं. 258 रकबा 52.09 बीघा में से रकबा 1.06 बीघा, आ.नं. 255 रकबा 25.03 बीघा में से रकबा 1.03 बीघा, आ.नं. 254 रकबा 16.17 बीघा में से रकबा 1.02 बीघा कुल किता 5 रकबा 8.08 बीघा किस्म चारागाह भूमि में मौके पर रास्ता चालू है जो ग्राम मोटा का खेडा से तगड़ीया सड़क को ग्राम कांकरोद तहसील देवगढ जिला राजसमंद की सीमा को जोड़ता है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शें में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। उक्त रास्ते के रकबा 8.08 बीघा को चारागाह के कुल रकबे में रखते हुए मौके पर चालू रास्ते का राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे मे डोट–डोट के रूप में अंकन करे एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 08:29:45 IST
Reason: SelfAttested